







ला और उहे 4 / Aims & Objectives

भारतीय रेलवे स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली को निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे:

- 1. औद्योगिक चिकित्सा से संबंधित कार्य।
- 2. रेलवे लाभार्थियों को चिकित्सा उपचार से संबंधित कार्य
- 1.औद्योगिक चिकित्सा से संबंधित कार्य।
- i. रेलवे दुर्घटना में भाग लेने के लिए
- ii. यात्रा कर रहे बीमार यात्रियों को आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्रदान करना।
- iii. केवल योग्य और योग्य उम्मीदवारों को ही सेवाओं में शामिल होने की अनुमति देने के लिए रोजगार पूर्व चिकित्सा परीक्षा।
- iv. सेवारत कर्मचारियों की पीएमई (आवधिक चिकित्सा परीक्षा) ताकि फिट व्यक्ति को उन नौकरियों में बने रहने की अनुमित मिल सके जो ट्रेन के सुरक्षित संचालन से संबंधित हैं।
- v. सेवारत कर्मचारियों के मेंडिकल बोर्ड और अन्य चिकित्सा प्रमाणन।
- vi. बीमारी (दोनों सामान्य) के कारण मानव दिवस की हानि पर नियंत्रण
- vii. रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित जल आपूर्ति: रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध कराए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता की जांच के लिए निरंतर निगरानी रखी जाती है। रिपोर्टिंग की और असंतोषजनक रिपोर्टीं के लिए सुधारात्मक उपाय करने की एक अच्छी तरह से निर्धारित प्रणाली है।
- viii. रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षित भोजन आपूर्ति: रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षित भोजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाती हैं।
 - a) रसोई और भोजन संचालकों का नियमित निरीक्षण।
 - b) भोजन संचालकों की नियमित स्वास्थ्य जांच।
 - c) एफएसएसएआई अधिनियम के तहत खाद्य नमूनों का संग्रह।
 - d) गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत् खाद्य नमूनों का संग्रहण।
 - ix. फ़ैक्टरी अधिनियम सुनिश्चित करना: फ़ैक्टरी अधिनियम के अनुसार भारतीय रेलवे के सभी कारखानों (ऐसी 84 फ़ैक्टरियाँ हैं) में चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा पद प्रदान किए जाते हैं।
 - x. कर्मकार मुआवजा अधिनियम: डब्ल्यूसीए से संबंधित गतिविधियां नियमित आधार पर की जाती हैं।
 - xi. रेलवे स्टेशन, रेलवे यार्ड, रेलवे लाइन आदि पर शवों का प्रमाणीकरण नियमित आधार पर किया जा रहा है।
 - xii. रेलवे स्टेशन पर खराब होने वाली वस्तुओं का उनके निपटान के बारे में प्रमाणीकरण आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है।
- 2.रेलवे लाभार्थियों को चिकित्सा उपचार से संबंधित कार्य:
 - i. भारतीय रेलवे चिकित्सा विभाग द्वारा संपूर्ण व्यापक चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाता है।
 - a. उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल : प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, तृतीयक स्तर
 - b. निवारक स्वास्थ्य देखभाल c. आदिम स्वास्थ्य देखभाल

भारतीय रेलवे स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली भारतीय रेलवे की आवश्यकता के अनुसार औद्योगिक चिकित्सा प्रदान कर रही है और रेलवे लाभार्थियों को चिकित्सा उपचार भी प्रदान कर रही है। यह प्रणाली एक गतिशील प्रणाली है जो रेलवे लाभार्थियों को उचित चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए उचित समय में उपयुक्त परिवर्तन करती है।

Indian Railway Health Care delivery System has to perform following two important functions:

- 1. Functions related to Industrial Medicine
- 2. Functions related to Medical treatment to Railway beneficiaries
- 1. Functions related to Industrial Medicine:
 - i. To attend Railway accident & other untoward incidences.
 - ii. To provide emergency medical treatment to traveling sick passengers
 - iii. Pre employment Medical examination to allow only fit & suitable candidates to join the services
 - iv. PME (Periodical Medical Examination) of serving employees to allow fit person to continue in those jobs which are related to safe running of the train.
 - v. Medical Boards & other medical certification of serving employees.
 - vi. Control on loss of mandays on account of sickness (both normal & HOD). It is kept under control by medical officers
 - vii. Safe water supply at Railway Station: A constant vigil is maintained to check on quality of drinking water made available at Railway Stations. There is a well laid down system of reporting and to take corrective measures for unsatisfactory reports.
 - viii. Safe food supply at Railway stations: Following activities are undertaken to ensure safe food supply at Railway station
 - a) Regular inspection of kitchen & food stalls.
 - b) Regular health check up of food handlers.
 - c) Collection of food samples under FSSAI Act
 - d) Collection of food samples under quality control system.
 - ix. Ensuring Factory Act: Medical first aid posts are provided to all factories of Indian Railways (there are 84 such factories) as per Factory Act
 - x. Workman Compensation Act: Activities related to WCA is under taken on regular basis.
 - xi. Certification of dead bodies at Railway Station, Railway Yards, Railway line, etc. is being done on regular basis
 - xii. Certification of perishable goods in Railway Station about their disposal is done as and when required

- 2. Functions related to Medical treatment to Railway beneficiaries:
 - i. Total comprehensive Medical treatment is provided by Indian Railway Medical Department.
 - a. Curative health care.
 - Primary level
 - Secondary level
 - Tertiary level
 - b. Preventive health care
 - c. Primitive health care

Indian Railway health care delivery system is providing Industrial medicine as per the need of the Indian Railway and also providing medical treatment to Railway beneficiaries

The system is a dynamic system which makes suitable changes in proper time to provide proper medical treatment to Railway beneficiaries.